पत्र सं०–08 / ज०सं०(नि०) बाह्य–09–11 / 2014 :–

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

आदेश

श्री निरंजन उराँव, कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल सं०–2, बांका में पदस्थापन अवधि में बरती गई अनियमितता के लिए जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना से अधिसूचना ज्ञापांक– 10143 दिनांक– 22.12.2008 सह पठित ज्ञापांक– 10144 दिनांक– 22.12.2008 द्वारा तत्कालीन प्रभाव से निलंबित करते हुए संकल्प ज्ञापांक– 7567 दिनांक– 09.07.2010 द्वारा विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

2. श्री निरंजन उराँव, तत्कालीन सहायक अभियंता (नि०) के विरूद्ध निम्नलिखित आरोप गठित किये गये है :–

आरोप :–

बांका जिलान्तर्गत ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल सं०–2 के क्षेत्रान्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से संबंधित कदरसा रोड से बिरनिया पथ (L058) कटोरिया पी०डब्ल्यू०डी० सड़क से वलिया–महरा पथ (T01) एवं बांका–बेलहर पथ से साथी घाट पथ (L029) तीनों कार्य की निविदा दिनांक– 14.08.2008 को प्राप्त की गई थी। तीनों कार्य की निविदा में प्रत्येक में दो–दो संवेदकों द्वारा भाग लिया गया था, जिसमें से एक संवेदक "इण्डियन प्रोग्रेसिव कन्सट्रक्शन प्रा०लि०" देवघर द्वारा तीनों कार्यों में भाग लिया गया था। उक्त तीनों कार्यों की तकनीकी बिड की तुलनात्मक विवरणी संबंधित अधीक्षण अभियंता के माध्यम से मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, उपभाग–3, पटना के कार्यालय में प्राप्त होने के बाद तकनीकी बिड समिति के द्वारा दिनांक– 01.10.2008 को उक्त तीनों कार्यों से संबंधित छः संवेदकों को तकनीकी बिड में योग्य पाते हुए आपको इनका वित्तीय बिड खोलकर उसका तुलनात्मक विवरणी समर्पित करने हेतु दिनांक– 03.10.2008 को संचिका उपलब्ध करा दी गयी। ठीक दूसरे ही दिन यानि दिनांक– 04.10.2008 को आपके द्वारा वित्तीय बिड खोला गया। इस संबंध में जाँच में आपके विरूद्ध निम्न आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाये जाते है –

आरोप सं०–1

दिनांक– 03.10.2008 को वित्तीय बिड से संबंधित संचिका आपको उपलब्ध करायी गयी तथा आपके द्वारा उपरोक्त तीनों कार्यों का वित्तीय बिड दिनांक– 04.10.2008 को खोला गया, जिससे स्पष्ट होता है कि जल्दबाजी में संवेदकों को बिना सूचना दिये वित्तीय बिड खोला गया। उक्त तीनों कार्य में भाग लेने वाले संवेदक "इण्डियन प्रोग्रेसिव कन्सट्रक्शन प्रा०लि०" अथवा उनके प्रतिनिधि का हस्ताक्षर वित्तीय बिड रजिस्टर में अंकित नहीं पाया गया है जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त संवेदक की अनुपस्थिति में वित्तीय बिड खोला गया जो निविदा प्रक्रिया के उल्लंघन किये जाने के साथ–साथ आपकी गलत मंशा का द्योत्तक है जिसके लिए आप बिहार सरकार आचार नियमावली–1976 के नियम–'3' के उल्लंघन के लिए प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाते है।

आरोप सं०–2

दिनांक– 04.10.2008 को आपके द्वारा वित्तीय बिड खोलकर बिड निष्पादन की कार्रवाई कर ली गयी और लगभग तेरह दिनों तक इस अनुशंसा को अपने पास रखा गया और अपने उच्चाधिकारियों को नहीं भेजा गया जबकि उक्त संबंध में आपको स्पष्ट निदेश दिया गया था कि वित्तीय बिड के निष्पादन के अविलम्ब बाद उच्चाधिकारी की सहमति प्राप्त की जाय। उक्त कृत्य आपके द्वारा सरकारी आदेश की अवहेलना एवं कर्त्तव्यहीनता का द्योत्तक है जिसके लिए आप बिहार सरकार आचार नियमावली–1976 के नियम–'3' के उल्लंघन के लिए प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाते है।

3. माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर C.W.J.C No. - 540/09 में दिनांक– 06.11.2009 को पारित आदेश के आलोक में अधिसूचना ज्ञापांक–11165 दिनांक– 04.10.2010 द्वारा श्री निरंजन उराँव, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल सं०–2 बांका को तत्कालिक प्रभाव से निलंबन मुक्त किया गया।

4. श्री निरंजन उराँव, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता के झारखण्ड राज्य में संवर्ग आवंटन के फलस्वरूप जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक– 3979 दिनांक– 06.11.2014 द्वारा अभिलेखादि इस विभाग को उपलब्ध कराया गया। मामले की समीक्षोपरान्त श्री उराँव के विरूद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक– 3991 दिनांक– 28.07.2015 द्वारा असैनिक सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–1930 के नियम–55 के विहित रीति से विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

5. संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री उराँव को निविदा प्रक्रिया के उल्लंघन किये जाने के आरोप के संबंध में प्रतिवेदित किया गया है कि श्री उराँव निविदा निष्पादन में बरती गई प्रक्रियात्मक त्रुटियों के लिए दोषी है।

6. उक्त विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की गहन समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई है।

7. सम्यक् समीक्षोपरान्त श्री निरंजन उराँव, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता को उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए निम्न प्रस्तावित दण्ड के लिए द्वितीय कारण पृच्छा किया गया –

(क) निन्दन

(ख) दो वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।

8. श्री उराँव, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता ने अपने कारण पृच्छा में कहा है कि संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में आरोपों को प्रमाणित नहीं माना गया है बल्कि प्रक्रियात्मक त्रुटियों के लिए सचेष्टता बरते जाने का मंतव्य दिया गया है। श्री उराँव ने भविष्य में इसकी पुर्नावृत्ति न हो इस हेतु सचेष्टता बरती जाने के साथ आरोपमुक्त करने का अनुरोध किया है।

9. श्री उराँव से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा की समीक्षा विभागीय स्तर पर की गई। सम्यक् समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि श्री उराँव ने आरोप मुक्ति हेतु अपने द्वितीय कारण पृच्छा के साथ न तो कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया है न ही इस संबंध में किसी प्रकार के तथ्यों को सामने लाया है। श्री उराँव ने अपने द्वितीय कारण पृच्छा में निविदा निष्पादन में बरती गई प्रक्रियात्मक त्रुटियों को एक प्रकार से स्वीकार किया है।

अतः श्री निरंजन उराँव, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता के द्वितीय कारण पृच्छा को अस्वीकृत करते हुए उक्त प्रमाणित आरोप के लिए निम्न दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है :–

(क) निन्दन

(ख) दो वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।

(ग) चूँकि आरोप प्रमाणित है ऐसे निलंबन अवधि का जीवन निर्वाहन भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा।

अतएव एतद् द्वारा सरकार के उक्त निर्णय को संसूचित किया जाता है।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–
(विनय कुमार)
अवर सचिव

ज्ञापांक : 725 राँची/दिनांक 06-02-17

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची/उप सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को पत्रांक– 3/अ०प्र०–1–486/08–3979 दिनांक– 06.11.2014 के क्रम में/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल–2, बांका/उप सचिव(प्र०), जल संसाधन विभाग, राँची/प्रशाखा पदाधिकारी प्रभारी प्रशाखा–01, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर/श्री निरंजन उराँव, कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल नाला/वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Vinay 03/02/2017

(विनय कुमार)
अवर सचिव